न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—277/2016/225 (2016/00277)

भैरू पुत्र स्व0 गोपी पौत्र लच्छा, जाति कहार, निवासी नदी सराधना, उप—तह0 सराधना, जिला अजमेर (मृतक) जरिये वारिसानः—
1— बीरम पुत्र स्व0 भैरू,
2— श्रीमती सीता पुत्र स्व0 भैरू,
जाति कहार, नि0 ग्राम नदी सराधना, उप—तह0 सराधना, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वानसहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर कैम्प कोर्ट सराधना, दिनांक 20.6.2016 प्रकरण संख्या 48/2010.

उपस्थितः—
1. श्री एन0के0 जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः—28.12.2018

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.6.2016 के विरूद्ध प्राप्त हुई है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है चौसाला खसरा नंबर 2465 रकबा 5 बीघा किस्म बारानी—3 ग्राम सराधना स्थित भूमि जो वादी/प्रार्थी भैरू के पिता गोपी पुत्र लच्छा के दादा को आवंटन अधिकारी के द्वारा दिनांक 18.7.1965 को आवंटन की गई थी एवं पट्टा जारी किया गया कि जिसके वर्किंग खसरा नंबर 2765 बने है कि जिस पर अपीलांटस के दादा का आवंटन दिवस से निरन्तर कब्जा काश्त एवं दादा के स्वर्गवास के बाद अपीलांटस का ही विधिक एवं भौतिक कब्जा काश्त चला आ रहा है । इस संबंध में अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के संबंध में दस्तावेज पेश किये किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 को निर्णय दिनांक 20.6.2016 द्वारा निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांटस की पुश्तैनी, अपीलांटस के दादा को आवंटित भूमि है जिस पर अपीलांटस के दादा, पिता एवं उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांटस का ही भौतिक कब्जा काश्त चला आ रहा है । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष आवंटन आदेश

पट्टा एवं राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किये थे जिसे अधी0न्याया0 ने नजरअदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तीन मुख्य बिन्दु सुविधा का संतुलन, प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं आर्थिक नुकसान के तीनों बिन्दु अपीलांटस के पक्ष में प्रमाणित होते हुए भी अधी0न्याया0 ने इन बिन्दुओं बाबत् कोई विवेचन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस के दादा के पक्ष में पारित आवंटन आदेश आज आदिवस तक प्रभावी है । अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं प्रकरण में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 भी पक्षकार बनाये जाने हेतु पेश किया गया था जो विचाराधीन है किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र निर्णित किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध है । अपीलांटस विवादित भूमि खातेदार काश्तकार है जो अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है । वादीगण/अपीलांटस का वाद विचाराधीन है जिसमें अपीलांटस को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इसका निस्तारण बाद साक्ष्य मूल वाद में होगा किन्तु वर्तमान में विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से अपीलांटस को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने विवादित भूमि अपीलांटस के दादा गोपी पुत्र लच्छा का आवंटित होने का कथन किया है तथा इस संबंध में आवंटन आदेश की प्रति भी अधी0न्याया0 के समक्ष पेश की थी । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पक्षकार नियुक्त किये जाने बाबत् पेश किया था जिसे अधी0न्याया0 ने निर्णित नहीं किया है । अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 20.6.2016 का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 ने मात्र 4–5 लाईनो में आदेश पारित कर अपीलांटस का प्रार्थना पत्र अपास्त किया है । हम विद्वान वकील अपीलांटस के इस कथन से सहमत है कि धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने हेतु आवश्यक तीन घटक यथा प्रथमदृष्टाय केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं का परीक्षण करना आवश्यक है किन्तु अधी0न्याया0 के आदेश में इस संबंध में इन बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। अधी0न्याया0 द्वारा पारित नोन–स्पीकिंग आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 का आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया जाना भी परिलक्षित नहीं होता है । अतः अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर, (मुख्या0) अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.6.2016 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 को निर्णित कर, अपीलांटस का साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने हेतु आवश्यक तत्वों को विवेचन, विश्लेषण कर प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर पुनः निर्णित करे ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 28.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर